भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5013
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार

5013. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार लाने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार इस कवरेज में कमियों को दूर करने की किस प्रकार योजना बना रही है; और

(ग) आय का एक स्थिर स्त्रोत सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण कारीगरों, स्व-सहायता समूहों और लघु उद्यमियों की सहायता करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास में ग्रामीण संपर्क एक महत्वपूर्ण घटक है और यह गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक अच्छी गुणवत्ता वाली बारहमासी सड़क अतिरिक्त कृषि आय, उत्पादक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक बेहतर पहुंच में योगदान देती है। इसे ध्यान में रखते हुए , भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (जिसे पीएमजीएसवाई-I के रूप में संदर्भित किया जाता है) शुरू की, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण भारत में पात्र असंबद्ध बसावटों (2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक तथा पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों , विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक) को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना था।

इस योजना की शुरुआत से 28 मार्च 2025 तक कुल 644,875 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 624,804 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 99.7% पात्र और व्यवहार्य बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की गई है।

इसके बाद, मौजूदा ग्रामीण सड़कों के समेकन /उन्नयन के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निम्नलिखित घटक शुरु किए गए:

(i) लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर के समेकन के माध्यम से इसकी समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए मई 2013 में पीएमजीएसवाई-II की शुरुआत की गई थी। कुल 49,795 किलोमीटर लंबी सड़कों की मंजूरी दी गई थी , जिसमें से आज की स्थिति के अनुसार 49,062 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ii) 9 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 44 जिलों और कुछ निकटवर्ती जिलों में सड़क संपर्क की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना का दोहरा उद्देश्य सुरक्षा बलों द्वारा सुचारू और निर्बाध वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियान चलाना और इस क्षेत्र का सामाजिक -आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत कुल 12,228 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत की गई है, जिसमें से 9,439 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(iii) बसावटों को अन्य के साथ -साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 कि.मी. लंबे थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंक रूटों के सुदृढ़ीकरण के लिए पीएमजीएसवाई -III को जुलाई, 2019 में शुरु किया गया था। दिनांक 28.03.2025 तक कुल 1,22,060 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई है , जिनमें से 92,783 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(iv) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र 25,000 असंबद्ध बसावटों को नई संपर्कता प्रदान करने और पुलों का निर्माण /उन्नयन करने के लिए दिनांक 11.9.2024 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई IV) के चरण-IV के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान 70,125 करोड़ रुपये की लागत से पात्र 25,000 संपर्क रहित बसावटों को नई सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए कुल 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय राज्यों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहा है।

पीएमजीएसवाई की शुरुआत से लेकर 28 मार्च 2025 तक, कार्यक्रम के सभी कार्यकलापों/घटकों के तहत , कुल 834,875 किलोमीटर लंबी सड़क की मंजूरी दी गई है , जिसमें से 776,369 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है , जिस पर 3,95,874 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित) का व्यय हुआ है। पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के साथ -साथ ग्रामीण संपर्कता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कई अन्य पहलों के माध्यम से , ग्रामीण सड़क नेटवर्क में काफी सुधार हुआ है।

(ग) पीएमजीएसवाई निम्नलिखित उपायों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में ग्रामीण कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के महत्व को पहचानता है:

(i) पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण के लिए स्थानीय सामग्रियों जैसे कि एग्रीगेट्स , रेत और सीमेंट के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इससे न केवल परिवहन लागत कम होती है , बल्कि ग्रामीण कारीगरों और छोटे पैमाने के उद्यमियों सहित स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को आय का एक स्थिर स्रोत भी प्रदान करता है।

(ii) पीएमजीएसवाई स्थानीय ठेकेदारों के साथ अनुबंध करने को प्राथमिकता देता है और मानक बोली दस्तावेज के अनुसार , 25% कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध छोटे और सीमांत ठेकेदारों को उप-अनुबंधित किया जा सकता है, जिससे उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है।

(iii) पीएमजीएसवाई ठेकेदारों और सड़क निर्माण कार्यों में लगे कर्मियों को कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। ये कार्यक्रम उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं , जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं और नए बाजारों और अवसरों तक पहुँचने में सक्षम होते हैं।

(iv) पीएमजीएसवाई ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है , जिसमें सड़क रखरखाव और निर्माण से जुड़े उद्यम भी शामिल हैं। यह ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।

*****